चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव व उनकी टीम द्वारा आयुष हत्याकांड (बरगढ़) में वांछित एवं ₹15,000-₹15,000 के इनामिया 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों का नाम/पता
नौशाद अंसारी पुत्र आफताब आलम निवासी कटरा चौराहा उभारी करमा, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज।
इरशाद अंसारी पुत्र आफताब आलम निवासी कटरा चौराहा उभारी करमा, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज।
गिरफ्तारी का दिनांक/स्थान/समय ग्राम उभारी करमा, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज।
दिनांक 11.06.2026, समय 13:55 बजे।
संक्षिप्त विवरण
उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.01.2026 को कस्बा बरगढ़ निवासी अशोक कुमार पुत्र रमेश चन्द्र केसरवानी द्वारा थाना बरगढ़ पर सूचना दी गई कि उनके पुत्र आयुष केशरवानी उर्फ छोटू (13 वर्ष) का सायं लगभग 05:50 बजे पुराने किरायेदार इरफान अंसारी एवं उसके साथ रहने वाले कल्लू उर्फ साहिबे इमाम द्वारा अपहरण कर लिया गया तथा 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। इस सूचना के आधार पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 07/2026 धारा 140(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
फिरौती की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तों द्वारा आयुष केशरवानी की हत्या कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र चित्रकूटधाम बांदा एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।
दिनांक 23.01.2026 को एसओजी एव पुलिस संयुक्त टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त इरफान अंसारी एवं कल्लू उर्फ साहिबे इमाम की संलिप्तता की पुष्टि की गई। साक्ष्य संकलन के दौरान दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में घेरकर गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु सीएचसी मऊ भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने कल्लू उर्फ साहिबे इमाम को मृत घोषित कर दिया।
विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1), 238ए, 61(2)(क) एवं 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। जांच के क्रम में घटना के षड्यंत्र में शामिल नौशाद अंसारी एवं इरशाद अंसारी पुत्रगण आफताब आलम निवासी कटरा चौराहा उभारी करमा, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज के नाम प्रकाश में आए।
दिनांक 11.06.2026 को प्रभारी निरीक्षक मऊ व उनकी टीम मुकदमा उपरोक्त में वांछित/इनामिया अभियुक्तों की तलाश में करमा बाजार, प्रयागराज क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम उभारी में दबिश देकर नौशाद अंसारी (उम्र लगभग 37 वर्ष) एवं इरशाद अंसारी (उम्र लगभग 33 वर्ष) को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(2), 103(1), 238ए, 61(2)(क) एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत समय करीब 13:55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।
उक्त दोनों अभियुक्तों पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा ₹15,000-₹15,000 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव
2.मुख्य आऱक्षी चालक बृजेश यादव
3. आरक्षी सोनपाल
4.रि0आ0 हिमांशू यादव
5.रि0म0आ0 शिखा
6.रि0म0आ0 ज्योति

(4).आज दिनांक 12.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता तथा अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कांत राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपने अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग करते हुए समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। साथ ही पेंशनर्स को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, कानूनी सहायता तथा शिकायत निवारण तंत्र संबंधी जानकारी प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित पेंशनर्स को अपनी समस्याएं एवं अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया। उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त पेंशनर्स को डिजिटल अरेस्ट, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर होने वाली साइबर ठगी तथा अन्य साइबर अपराधों के संबंध में जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की घटना होने पर तत्काल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में भी जानकारी दी गई।

इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स एवं पुलिस विभाग के मध्य संवाद एवं सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, जिससे उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

(5).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 12.06.2026 को थाना कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 3692/10 धारा 147,283 आईपीसी व 07 क्रि0ला0 के आरोपी अभियुक्त 1.प्रकाश शुक्ला उर्फ भईयन पुत्र छेदीलाल 2.संतोष पुत्र मुन्ना जायसवाल 3.सुशील पुत्र घनश्याम 4.राजेश पुत्र जयलाल भाट 5.पप्पू भाट पुत्र रामबहादुर भाट 6.अल्फू पुत्र कल्लू भाट 7.रोशन पुत्र रामनाथ भाट निवासीगण ग्राम शिवरामपुर चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को प्रत्येक को 1700/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री

निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 12.06.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना पहाडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 183/20 धारा 504,506,507 आईपीसी व 11(2) पॉक्सो एक्ट व 67 आईटीएक्ट के आरोपी अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र मईयादीन रैकवार निवासी खोरा थाना धरमपुर जनपद पन्ना म0प्र0 को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 10000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनांक 23.12.2020 को थाना पहाड़ी अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा पहाडी पर सूचना दी कि अभियुक्त अखिलेश कुमार उपरोक्त द्वारा उनकी पुत्री के साथ गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देना व अश्लील फोटो फेसबुक आईडी बनाकर वायरल करना व फोन पर धमकी देते हुये उत्पीड़न करना। सूचना पर थाना पहाडी में मु0अ0सं0 183/20 धारा 504,506,507 आईपीसी व 11(2) पॉक्सो एक्ट व 67 आईटीएक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 तपेश मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दिनाँक 16.06.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0/एफटीसी श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 12.06.2026 को थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 63/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राजाराम पुत्र कल्लू रैदास निवासी तीर धुमाई गंगू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 12.06.2026 को थाना कर्वी कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 399/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त नन्हे पुत्र छोटेलाल निवासी खटकाना थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5450/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी मनीष यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक

12.06.2026 को थाना कर्वी बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राजेश पुत्र चुनबाद निवासी ग्राम सेहरिन मजरा मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 9662/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 12.06.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/21 धारा 354 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त नवल कुमार रैकवार पुत्र फूलचन्द्र रैकवार निवासी नादिन कर्मियान थाना राजापुर को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

घटना का विवरणः-

दिनांक 07.02.2021 को थाना राजापुर अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि अभियुक्त नवल कुमार रैकवार उपरोक्त द्वारा उनकी बहन के साथ छेडखानी व गाली गलौच करना । सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 30/21 धारा 354 आईपीसी अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिवप्रकाश सोनकर द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 31.05.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवा आसरे यादव,पैरोकार आरक्षी अशोक यादव व प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 12.06.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/23 धारा 452,376,323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राहुल मिश्रा पुत्र सुरेंद्र उर्फ पुट्टू निवासी तीरधुमाई गंगू पोस्ट सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 31000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.02.2023 को थाना सरधुवा निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना सरधुवा पर सूचना दी गई कि अभियुक्त राहुल मिश्रा द्वारा वादिया के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया गया। सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 14/23 धारा 452,376,323 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी को दिनांक 16.02.2023 को गिरफ्तार कर दिनाँक 26.03.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।